सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन

शीर्षक VI कार्यक्रम अधिकारों की सार्वजनिक सूचना

शीर्षक VI कार्यक्रम नीति वक्तव्य

सिटी ऑफ ह्यूस्टन (City of Houston, COH) सिविल राइट्स एक्ट, 1964 के शीर्षक VI, 49 CFR के भाग 21, 49 CFR के भाग 303, और संबंधित गैर-भेदभाव संबंधी प्राधिकरणों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। सिटी ऑफ ह्यूस्टन यह आश्वासन देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, विकलांगता, कम आय और सीमित अंग्रेज़ी दक्षता (Limited English Proficiency,LEP) के आधार पर, सिटी ऑफ ह्यूस्टन के किसी भी कार्यक्रम, गतिविधि या सेवा के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, उसके लाभों से इनकार नहीं किया जाएगा, और न ही उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। सिटी ऑफ ह्यूस्टन यह भी आश्वासन देता है कि वह अपने सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों और सेवाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा–चाहे वे कार्यक्रम, गतिविधियाँ और सेवाएँ संघीय रूप से वित्तपोषित हों या न हों। यदि सिटी ऑफ ह्यूस्टन किसी अन्य संस्था को संघीय सहायता फंड वितरित करता है, तो सिटी ऑफ ह्यूस्टन सभी लिखित अनुबंध में शीर्षक VI की भाषा शामिल करेगा और उसके अनुपालन की निगरानी करेगा।

सिटी ऑफ ह्यूस्टन इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करेगा कि उसके कार्यक्रमों या गतिविधियों के किसी भी प्रभाव के परिणामस्वरूप, कम आय वाले और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके अतिरिक्त, सिटी ऑफ ह्यूस्टन यह आश्वासन देता है कि सीमित अंग्रेज़ी दक्षता वाले व्यक्तियों को सार्थक एक्सेस प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

1964 के सिविल राइट्स एक्ट के शीर्षक VI और संबंधित संघीय तथा राज्य के भेदभाव-विरोधी प्राधिकारों के तहत जवाबी कार्रवाई निषिद्ध है। सिटी ऑफ ह्यूस्टन की यह नीति है कि भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को बिना किसी बदले की भावना, हस्तक्षेप, डराने-धमकाने, ज़बरदस्ती या प्रतिशोध के डर के, ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए।

संघीय वित्तीय सहायता और प्रभावित प्राप्तकर्ताओं की परिभाषा

संघीय वित्तीय सहायता और प्रभावित प्राप्तकर्ता की परिभाषासंघीय वित्तीय सहायता की परिभाषा है, गारंटी या बीमा के अनुबंध के अलावा किसी अनुबंध, ऋण या अनुदान के माध्यम से किसी कार्यक्रम, गतिविधि या सेवा के लिए संघीय सरकार द्वारा सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन को दिया गया पैसा।

भेदभाव के विशिष्ट रूपों का निषेध

भेदभाव को रोकने के लिए सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन के प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन वे प्रतिबंधित करने तक सीमित नहीं हैं:

- किसी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं, वित्तीय सहायता या अन्य लाभों से वंचित रखना।
- लाभ दिए जाने के तरीके, उसकी गुणवत्ता या मात्रा अथवा राशि में भेदभाव करना।
- कार्यक्रम के किसी हिस्से में लोगों को अलग या वर्गीकृत करना।
- दूसरों को दिए जा रहे लाभों, सुविधाओं और अन्य फ़ायदों का पूरी तरह से उपयोग न करने देना।
- भागीदारी के लिए अलग-अलग मापदंड या आवश्यकताएँ।
- प्रशासन के तरीके जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संविदात्मक संबंधों के माध्यम से प्रभावी गैर-भेदभाव की उपलब्धि को पराजित या क्षीण कर देंगे।
- संघीय निधियों के साथ पूरे या आंशिक रूप से निर्मित या मरम्मत किए गए किसी राजमार्ग, बुनियादी ढांचे या सुविधा से संबंधित किसी भी गतिविधि या सेवाओं में भेदभाव।
- किसी ऐसे कार्यक्रम या सेवाओं के परिणामस्वरूप किसी भी रोजगार में भेदभाव, जिसका प्राथमिक उद्देश्य रोजगार प्रदान करना है।

ह्यूस्टन शहर 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम और संबंधित गैर-भेदभाव प्राधिकरणों के शीर्षक VI की गैर-भेदभाव आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन को बनाए रखने और आश्वस्त करने के लिए अपनी 'नीति' की सार्वजनिक सूचना देता है। शीर्षक VI और संबंधित गैर-भेदभाव प्राधिकरण यह निर्धारित करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, विकलांगता, आय स्तर या सीमित अंग्रेजी दक्षता के आधार पर भागीदारी से बाहर नहीं किया जाएगा, इनकार नहीं किया जाएगा। संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि के तहत लाभ, या अन्यथा भेदभाव के अधीन होना।

सार्वजनिक भागीदारी

ह्यूस्टन शहर निवासियों को अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों से संबंधित प्राथमिकताओं, रणनीतियों और धन आवंटन के विकास और योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। शहर कम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, कमजोर आबादी के सदस्यों और इन निवासियों की सेवा करने वाले संगठनों की भागीदारी पर जोर देता है।

सार्वजनिक बैठकें सार्वजनिक योगदान प्रदान करती हैं। बैठकें तारीख, समय और स्थान के साथ प्रकाशित की जाती हैं जो प्रस्तावित परियोजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के हितधारकों द्वारा सबसे बड़ी भागीदारी प्रदान करती हैं। बैठक की जानकारी और प्रस्तावित परिवर्तनों तक पहुंच डिजिटल और मुद्रित प्रति में प्राप्त की जा सकती है।

सार्वजनिक सभाओं में भागीदारी भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या ऐतिहासिक बाधाओं से मुक्त है। सार्वजनिक बैठकों के अनुरोध पर अनुवाद और व्याख्या सेवाएं उपलब्ध हैं। सार्वजनिक बैठक की मेजबानी करने वाले विभाग से इस अनुरोध के लिए संपर्क किया जा सकता है या व्यक्ति अनुवाद और व्याख्या सेवाओं में सहायता के लिए शहर की 3-1-1 सेवा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

टाइटल **VI** शिकायत फ़ॉर्म

कोई भी व्यक्ति जो सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन के टाइटल VI कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी चाहता है, वह सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन टाइटल VI की वेबसाइट https://*www.houstontx.gov/obo/title-vi.html*, पर जा सकता है, या सूचीबद्ध टाइटल VI प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकता है। नीचे।

कोई भी व्यक्ति जो मानता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग के सदस्य के रूप में जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, अक्षमता, आय स्तर या सीमित अंग्रेजी दक्षता के आधार पर भेदभाव के अधीन हैं, का अधिकार है एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें। ऐसी कोई भी शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और कथित घटना की तारीख के बाद 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मानता है कि शीर्षक VI से संबंधित शिकायत दर्ज करने के परिणामस्वरूप उसे प्रतिशोध का शिकार होना पड़ा है, उसे भी औपचारिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। ऐसी कोई भी शिकायत लिखित रूप में भी होनी चाहिए और कथित घटना की तारीख के बाद 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

शिकायत प्रपत्र फ़ाइल करें: https://www.houstontx.gov/obo/title-vi.html

ईमेल: TitleVI@houstontx.gov

पुकारना: 832-393-0600 (विकल्प 5)

ह्यूस्टन शहर शीर्षक VI समन्वयक:

Norma Meadows
611 Walker Street, 7th Floor
Houston, Texas 77002

अप्रैल 2026

ह्यूस्टन शहर के किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में **24/7** सहायता के लिए,
आप **3-1-1** हॉस्टन सर्विस हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।